

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 162]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 मई 2020—वैशाख 14, शक 1942

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 मई 2020

क्र. एफ-287-2020-लोसेप्र-पी.एस.जी.-02.— मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010(क्रमांक 24 सन 2010) की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना को संशोधित करते हुए मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतदद्वारा श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएँ-

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
2.6	मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 की धारा-1 की उपधारा(4) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में स्थापित संस्थाओं का पंजीयन समय-सीमा में किया जाना ।	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	01 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त
2.8	संविदा श्रम(वि. एवं स.) अधिनियम 1970 की धारा 12 के अंतर्गत 20 श्रमिक एवं अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले ठेकेदार को अनुज्ञप्ति का निर्धारित समय-सीमा में प्रदाय किया जाना है । (कारखानों को छोड़कर)	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	01 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त

2.14	कारखानों में स्व-प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत कारखानों से प्राप्त हाने वाले आवेदनों का निराकरण के संबंध में निर्देश ।	उप संचालक/ सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	01 कार्य दिवस	संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	30 कार्य दिवस	श्रम आयुक्त
2.15	अन्तर्राज्तीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तों) अधिनियम 1979 के अंतर्गत जारी पंजीयन एवं लायसेंस प्रदाय करने विषयक ।	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	01 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त
2.16	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत पंजीयन एवं लायसेंस का प्रदाय करने विषयक ।	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	01 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त
2.17	भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीयन प्रदाय करने विषयक ।	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	01 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त
2.18	मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाएँ जिजके पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन होना हो, जैसे कि नियोजित श्रमिकों की संख्या में कोई भी परिवर्तन ।	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	01 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त
2.19	मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनायें का पंजीयन की वैधता समाप्त होने वाली हो तथा पूर्व में जारी हुआ पंजीयन प्रमाण पत्र में दर्ज हुई जानकारी में संशोधन भी होना हो । (जैसे कि नियोजित श्रमिकों की संख्या में कोई भी परिवर्तन)	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	01 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त
2.20	कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6,7 सपठित नियम 3-ए के अंतर्गत कारखानों के साईट प्लान एवं विस्तृत नक्शों की अनुज्ञा जारी किया जाना ।	मुख्य कारखाना निरीक्षक, म.प्र. इंदौर (संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा)	01 कार्य दिवस	श्रम आयुक्त म.प्र.	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव/ सचिव श्रम विभाग म.प्र.

2.9	संविदा श्रम(विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 की धारा 12 सहपठित मध्यप्रदेश नियम 1973 के नियम 29 के अंतर्गत 20 श्रमिक एवं अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले प्रत्येक ठेकेदार को जारी अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति पर उसका नवीनीकरण निर्धारित समय-सीमा में समय-सीमा में प्रदाय किया जाना है। (कारखानों को छोड़कर)	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	01 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त
2.10	संविदा श्रम(विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 की धारा 12 के अंतर्गत 20 श्रमिक एवं अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले प्रत्येक ठेकेदार को जारी अनुज्ञप्ति में मध्यप्रदेश नियम 1973 के नियम 28 में संशोधन चाहे जाने पर निर्धारित समय-सीमा में संशोधन अनुज्ञप्ति प्रदाय किया जाना है। (कारखानों को छोड़कर)	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	01 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त
2.11	कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों को नवीन अनुज्ञप्ति का निर्धारित समय-सीमा में प्रदाय किया जाना है।	मुख्य कारखाना निरीक्षक, म.प्र. इंदौर (संचालक ओद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा)	01 कार्य दिवस	श्रम आयुक्त म.प्र.	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव/ सचिव श्रम विभाग म.प्र.
2.12	कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6,7 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत कारखानों का अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण/संशोधन निर्धारित समय-सीमा में प्रदाय किया जाना है।	मुख्य कारखाना निरीक्षक, म.प्र. इंदौर (संचालक ओद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा)	01 कार्य दिवस	श्रम आयुक्त म.प्र.	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव/ सचिव श्रम विभाग म.प्र.
2.13	दुकानों, वाणिज्यिक स्थापनाओं/ मोटर परिवहन आदि स्थापनाओं के लिए स्व-प्रमाणिकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण कर निर्धारित समय-सीमा में स्वीकृति प्रदाय किया जाना है।	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	01 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त

2.21	कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6,7 सपठित नियम 6 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञप्ति प्रदाय ।	मुख्य कारखाना निरीक्षक, म.प्र. इंदौर (संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा)	01 कार्य दिवस	श्रम आयुक्त म.प्र.	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव/ सचिव श्रम विभाग म.प्र.
2.22	बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन एवं शर्तें अधिनियम) 1966 औद्योगिक परिसर को अनुज्ञप्ति का प्रदाय ।	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	01 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त
2.23	बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन एवं शर्तें अधिनियम) 1966 औद्योगिक परिसर को अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण ।	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	01 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त
2.32	संविदा श्रम (विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन प्रदाय करने विषयक । (कारखानों को छोड़कर)	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	01 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.